राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-5) विभाग

सं०प०7(8)कार्मिक/क-5/90 जयपुर, दिनांक 24/11/99

समस्त जिला कलेक्टर्स।

विषय:- राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु निर्देश।

समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प० 11(125) आरएण्डपी/सकवि/99/74085, दिनांक 3-11-99 के द्वारा राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या "54" पर "जाट" जाति का नाम "भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को छोड़कर समस्त राज्य के लिये" तथा अधिसूचना संख्या प०11(125)(3)(4)(5)आरएण्डपी/सकवि/75681, दिनांक 12-11-99 के द्वारा विभिन्न 18 जातियों के नाम जोड़े जाने के उपरान्त विभिन्न जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त जातियों के व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति चाही गई है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गयी जातियों/वर्गों एवं भविष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की जाने वाली जातियों/वर्गों के व्यक्तियों को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र-आदेश दिनांक 25-11-93 एवं 21-3-94 के अन्तर्गत नियमानुसार अन्य पिछड़े वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जा सकेंगे। जाति प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित अधिसूचनाओं/पत्रों के सन्दर्भों को जाति विशेष के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिये जाएं।

(बी०पी० आर्य)
शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

-----2/-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- समस्त विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, जयपुर।
5- समस्त विभागाध्यक्ष।
6- गार्ड फाईल।

(डी०के० विजय)
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5- निबन्धक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(डी०के० विजय)
उप शासन सचिव।